फाइल सं0 6/15/एनसीएससी/2011-समन्वय प्रको-ठ

भारत सरकार

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

पांचवीं मंजिल, लोकनायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

दिनांक 18 **अगस्त**, 2011

वि-ययः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की 19**वीं बैठक का कार्यवृत्त ।**

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की **दिनांक़ 08-08-2011 को अपराह्न** 1.00 **बजे** आयोजित 19**वीं बैठक** के अनुमोदित कार्यवृत्त की प्रति सूचनार्थ अग्रेषित की जाती है ।

(एस.एन. मीणा)
भारत सरकार के अवर सचिव

1. डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष
2. श्री राज कुमार वेरका, उपाध्यक्ष
3. श्री एम. शिवाना, सदस्य
4. श्री राजू परमार, सदस्य
5. श्रीमती लता प्रियाकुमार, सदस्य

संयुक्त सचिव के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव

निम्नलिखित अधिकारियों को कार्यवृत्त की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि वे बैठक में लिए गए निर्णयों पर 3 **दिन के भीतर कार्रवाई करें :-**

1. श्री ध्रुव कुमार, निदेशक(ईएसडीडब्ल्यू)
2. श्री एस. केसवा अय्यर, उप सचिव (एसएसडब्ल्यू)
3. श्री एस.एन. मीणा, अवर सचिव (प्रशा./सी.सैल)
4. श्री लोखन मरन्डी, अवर सचिव (एपीसीआर)
5. श्री कौशल कुमार, उप निदेशक (ईएसडीडब्ल्यू)

(एस.एन. मीणा)
भारत सरकार के अवर सचिव

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की 19वीं बैठक का कार्यवृत्त

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की 19वीं बैठक डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 08-08-2011 को अपराह्न 1.00 बजे उनके कार्यालय में आयोजित की गई थी । प्रतिभागियों की सूची **अनुबंध–।** पर है ।

आयोग ने कार्यसूची की निम्नलिखित मदों पर विचार-विमर्श किया:-

कार्यसूची की मद संख्या 1: **दिनांक 13–05–2011 को आयोजित आयोग की 16वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।**

आयोग ने दिनांक 13-05-2011 को आयोजित 16वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की ।

कार्यसूची की मद संख्या 2: **दिनांक 13–05–2011 को आयोजित आयोग की 16वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई ।**

आयोग ने की गई कार्रवाई को इस टिप्पणी के साथ नोट और अनुमोदित किया कि तृतीय पक्ष के अभ्यावेदन की अनुमति केवल अनुसूचित जाति कल्याण एसोसिएशनों के संबंध में ही दी जाए जो अनुसूचित जातियों के मामलों को चलाती हैं ।

कार्यसूची की मद संख्या 3: **दिनांक 20–06–2011 को आयोजित आयोग की 17वीं (आपात) बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।**

आयोग ने दिनांक 20-06-2011 को आयोजित 17वीं (आपात) बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की ।

कार्यसूची की मद संख्या 4: **दिनांक 20–06–2011 को आयोजित आयोग की 17वीं (आपात) बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई ।**

दिनांक 20-06-2011 को आयोजित आयोग की 17वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई को आयोग द्वारा नोट और अनुमोदित किया गया ।

कार्यसूची की मद संख्या 5: **दिनांक 18–07–2011 को आयोजित आयोग की 18वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।**

आयोग ने दिनांक 18-07-2011 को आयोजित 18वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की ।

कार्यसूची की मद संख्या 6: दिनांक 18–07–2011 को आयोजित आयोग की 18वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई ।

दिनांक 18-07-2011 को आयोजित आयोग की 18वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई को आयोग द्वारा नोट और अनुमोदित किया गया ।

कार्यसूची की मद संख्या 7: अपनी मेरिट से पदोन्नत अ.जा./अ.जजा. उम्मीदवार की पदोन्नति के संबंध में श्री ब्रह्म प्रकाश, महासचिव, अ.जा./अ.जजा. कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, भारतीय मौसम विभाग, लोधी रोड, नई दिल्ली को अभ्यावेदन ।

मामले पर विस्तार से चर्चा की गई । यह निर्णय लिया गया कि भारतीय मौसम विभाग, लोधी रोड, नई दिल्ली द्वारा रखे गए सभी रोस्टरों का निरीक्षण करने के लिए आयोग से एक दल प्रतिनियुक्त किया जाए । यह दल अपनी रिपोर्ट आयोग के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेगा ।

(कार्रवाई: एसएसडब्ल्यू)

कार्यसूची की मद संख्या 8: लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति नहीं देने के संबंध में श्री उल्हास ए. अम्बेकर, मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट, मुम्बई को अभ्यावेदन ।

मामले पर विस्तार से चर्चा की गई । आयोग ने पाया कि याचिकादाता को दिनांक 01-12-2007 को पदोन्नति दी गई थी और अब वह भूतलक्षी प्रभाव अर्थात् वर्ष 1994 से लाभ की मांग कर रहे हैं । आयोग का यह मत है कि याचिकादाता इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण/न्यायालय में जा सकते हैं ।

(कार्रवाई: एसएसडब्ल्यू)

कार्यसूची की मद संख्या 9: अ.जा./अ.जजा. विद्यार्थियों से सामयिक जाति प्रमाण–पत्रों की मांग करना ।

मामले पर विचार-विमर्श किया गया और आयोग ने सर्वसम्मति से यह सिफारिश करने का निर्णय किया कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा सामयिक जाति प्रमाण-पत्र की मांग उत्तर प्रदेश के उन जिलों और कुछ अन्य राज्यों तक सीमित होनी चाहिए जहां भारत सरकार ने इसके संशोधन-2002 के माध्यम से कुछ अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में रखा था । आयोग की यह भी इच्छा है कि संशोधन की एक प्रति प्राप्त कर उसे बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को मार्ग-दर्शन हेतु अग्रेषित कर दिया जाना चाहिए ।

(कार्रवाई: ईएसडीडब्ल्यू)

कार्यसूची की मद संख्या 10: **राज्य आबंटन के अनुसार, न कि मंत्रालय के आबंटन के अनुसार, सदस्यों के दौरा कार्यक्रम तथा सदस्यों से संबद्ध निजी कर्मचारियों को सदस्यों के दौरे पर उनके साथ जाने की पात्रता ।**

यह निर्णय लिया गया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संसूचित किए गए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के ऐसे निर्देशों का अनुपालन किया जाए जिनके अनुसार निजी सचिव या सदस्यों के अन्य निजी कर्मचारी माननीय सदस्यों के सरकारी दौरों पर उनके साथ जाने के पात्र नहीं होते हैं ।

(कार्रवाई: समन्वय प्रकोष्ठ)

कार्यसूची की मद संख्या 11: **श्री आर.पी. सिंह, सहायक प्रोफेसर (सिविल इंजीनियरिंग), पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ का उनके उत्पीड़न के संबंध में अभ्यावेदन ।**

मामले पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया । आयोग ने मामले में यू.जी.सी. की उस टिप्पणी को नोटिस किया कि निदेशक, पी.ई.सी. ने एम.ओ.ए. और उप नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने प्रदत्त प्राधिकार का अतिक्रमण किया है । चंडीगढ़ प्रशासन भी यू.जी.सी. के विचारों से सहमत था । यह निर्णय लिया गया कि निदेशक, पी.ई.सी., अध्यक्ष, यू.जी.सी. तथा सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन को माननीय अध्यक्ष के समक्ष सुनवाई के लिए बुलाया जाए ।

(कार्रवाई: एसएसडब्ल्यू)

कार्यसूची की मद संख्या 12: **श्री लाल चन्द, निवासी ए–318, साध नगर, पालम कालोनी, नई दिल्ली का मामला, जिसमें प्लॉट नं. 286–287, लाजवंती गार्डन, नई दिल्ली को सौंपने के उनके मामले में प्राकृतिक न्याय के लिए अनुरोध किया है – याचिकादाता और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के खिलाफ एम.सी.डी. द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका – निर्देश हेतु अनुरोध ।**

एम.सी.डी. द्वारा प्लाट नं. 286-287, लाजवन्ती गार्डन, नई दिल्ली, श्री लाल चन्द निवासी पालम कालोनी, नई दिल्ली को सौंपे जाने से संबंधित मामला, जिसकी आयोग द्वारा जांच की जा रही है, पर आयोग की बैठक में विचार-विमर्श किया गया । इस संबंध में अनुसूचित जाति के याचिकादाता श्री लाल चन्द की शिकायतों के निवारण के संबंध में सुनवाई के लिए संबंधित प्राधिकरणों अर्थात डी.डी.ए. और एम.सी.डी. को नोटिस जारी किए जा रहे थे ।

इसी बीच, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने दिल्ली उच्च न्यायालय में लाल चन्द एवं अन्य के खिलाफ दायर की गई असाधारण रिट क्षेत्राधिकार की एक प्रति प्राप्त की है । राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इस मामले में द्वितीय प्रतिवादी है । आयोग ने अपनी 19वीं बैठक में टिप्पणी की कि रिट याचिका

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में आयुक्त, एम.सी.डी. की व्यक्तिगत पेशी इत्यादि के लिए उन्हें बुलाए जाने के खिलाफ दायर की गई है । आयुक्त, एम.सी.डी. को व्यक्तिगत पेशी के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया था क्योंकि निम्नतर स्तर के अधिकारियों ने भिन्न राय दी है और तथ्यात्मक स्थिति का पता नहीं लग पाया है । राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा बहुत कम मामलों में व्यक्तिगत पेशी के लिए कहा जाता है । यह महसूस किया गया कि डी.डी.ए. और एम.सी.डी. के निम्नतर स्तर के प्राधिकारियों द्वारा बेइन्साफी तथा विरोधात्मक सूचना दी गई है । राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, रिट याचिका का संज्ञान लेते हुए, प्रस्ताव करता है कि रिट याचिका का सामना करने के लिए एक स्थायी सरकारी काउंसेल नियुक्त किया जाए या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय का अनुमोदन लेने के बाद मामले में पैरवी करने के लिए प्राइवेट प्रैक्टिशनर नियुक्त किया जाए । मामले को, तथ्यों का पता लगाने के लिए कालक्रमिक रिपोर्ट/टिप्पणी सहित केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भी भेज दिया जाना चाहिए ।

(कार्रवाई: ईएसडीडब्ल्यू)

कार्यसूची की मद संख्या 13: **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का आधुनिकीकरण एवं कम्प्यूटरीकरण ।**

आयोग ने मुख्यालय के आधुनिकीकरण एवं कम्प्यूटरीकरण के क्षेत्रों में की गई प्रगति को नोट किया और इच्छा व्यक्त की कि संबंधित अभिकरणों के साथ निरन्तर अनुनय किया जाए ।

(कार्रवाई: समन्वय प्रकोष्ठ/सामान्य प्रशासन)

कार्यसूची की मद संख्या 14: **अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मद**

माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी भी की:-

(i) राज्य समीक्षा से संबंधित सामग्री को माननीय सदस्यों में राज्य समीक्षा की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पूर्व परिचालित कर दिया जाना चाहिए । **(कार्रवाई: प्रशासन/ समन्वय प्रकोष्ठ)**

(ii) सदस्यों तथा उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में विभिन्न मुद्दों पर गठित समितियों को रिपोर्टें शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत की जानी चाहिए । ऐसी एक या दो रिपोर्टों पर आयोग की प्रत्येक बैठक में विचार-विमर्श किया जाना चाहिए । **(कार्रवाई: सभी 15 समितियों के अध्यक्ष और सदस्य सचिव)**

(iii) दिनांक 15 अक्तूबर, 2011 को आयोजित किए जाने वाले सम्मेलन की तैयारी त्वरित गति से की जाए । आमंत्रितों की सूची, जिन मुद्दों पर विचार किया जाना है उनकी सूची तथा सम्मेलन के आयोजन के लिए समर्पित अधिकारियों के एक दल को शीघ्र अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए ।

(कार्रवाई: प्रशासन/ समन्वय प्रकोष्ठ)

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई ।

अनुबंध -I

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की दिनांक 08-08-2011 को अपराह्न 1.00 बजे माननीय अध्यक्ष के आफिस चेम्बर में आयोजित 19वीं बैठक ।

उपस्थित सदस्य एवं अधिकारी

क्र.सं. ***नाम एवं पदनाम***

1. डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष
2. श्री राज कुमार वेरका, उपाध्यक्ष
3. श्री राजू परमार, सदस्य
4. श्री एम. शिवाना, सदस्य
5. श्रीमती लता प्रियाकुमार, सदस्या

अधिकारी

1. श्री टी. तीथन, संयुक्त सचिव
2. श्री एस. केसवा अय्यर, उप सचिव
3. श्री एस.एन. मीणा, अवर सचिव